उत्तर प्रदेश शासन
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या–72/2018/1171/92-2-18-154जांच/2015
लखनऊ:: दिनांक:: 10 जुलाई, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद एवं परिमण्डल-देवीपाटन गोण्डा के कार्यकाल में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-फैजाबाद के निर्माण कार्यो में अनियमितता एवं शिथिलता बरतने में प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-फैजाबाद एवं देवीपाटन गोण्डा सम्प्रति अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-देवीपाटन मण्डल गोण्डा के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-55/2016/1518/92-2-16-154जांच/2015 दिनांक 26-09-2016 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत आरोप देकर अनुशासिनक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता (प0क्षे0), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव, तत्का0 अधीक्षण अभियंता अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 30-09-2017 को सेवानिवृत्त हो गये है।

2- अतएव अपचारी अधिकारी, श्री एम0के0 श्रीवास्तव के विरूद्व उक्त नियमावली के नियम-7 के अंतर्गत संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-72/2018/1171(1)/92-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री एम0के0 श्रीवास्तव, (सम्प्रति सेवानिवृत्त) तत्का0 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परिमण्डल-फैजाबाद एवं देवीपाटन गोण्डा द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।